

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 249

दिनांक :- 16/03/2024

II कार्यालय आदेश II


मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 185 दिनांक 01.03.2024 में संशोधन करते हुए दिनांक 17.03.2024 एवं दिनांक 25.03.2024 की पूर्व में अधिकृत इयूटी को अपरिहार्य कारणों से निम्नलिखित पीठासीन अधिकारी की vice versa (विपरीत क्रम से) माह मार्च में निम्नलिखित दिनांको पर आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नीचे दी गई सारणी में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इयूटी करने के लिए अधिकृत करता हूं। माह मार्च के लिए अन्य दिनांक के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	फैसल खान	7822911111	17.03.24
2.	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	शांतनु खंगारोत	9429126623	25.03.24

उक्त इयूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड इयूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इयूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इयूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)


क्रमांक :- 250-258

दिनांक :- 16/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
3. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक
4. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
5. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।

6. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
7. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
8. पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक।
9. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


16/3/2024
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)